राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

दिनांकः 25.10.2018

क्रमांक–न्याय/2018/7079

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /18/32115–16 दिनांक 29.09.2018 से पुलिस थाना कामखेडा के अभियोग सं0 68/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्तगण शोयब अख्तर उर्फ अख्तर पिता असगर खां जाति मेवाती मुसलमान उम्र 21 साल निवासी खेडी मेवातियान थाना कामखेडा जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.05.18 को श्री महेन्द्र सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता वास्ते गश्त अवैध कार्य चेंकिग कस्बा कामखेडा से राजपुरा खेडी मेवातियान की ओर पहुंचने पर मुखबिर द्वारा इत्तला दी गई कि एक व्यक्ति हाथ मे बदूंक लेकर आ रहा है, इस पर सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर उक्त व्यक्ति तेज कदमो से खेडी मेवातियान की तरफ जाने लगा, जिसको घेरकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शोयब अख्तर उर्फ अख्तर पिता असगर खां जाति मेवाती मुसलमान उम्र 21 साल निवासी खेडी मेवातियान थाना कामखेडा जिला झालावाड बताया तथा बदूंक अपने कब्जे मे रखने व परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 68/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अभियुक्त ने दौराने अनुसंधान 27 साक्ष्य अधिनियम से एक बदूंक टोपीदार अपने रिहायशी मकान से बरामद कराई। जप्तशुदा 2 एमएल गन का आरमोर्रर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोर्रर ने बताया कि बदूंक टोपीदार फायर योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आती है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नईम खान एचसी 668 थाना कामखेडा व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड हथियारो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त शोयब अख्तर उर्फ अख्तर पिता असगर खां जाति मेवाती मुसलमान उम्र 21 साल निवासी खेडी मेवातियान थाना कामखेडा जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती